



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
'वर्कचार्ज वर्ग'
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431



Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्र संख्या:- 522 / 131का0प्र0-अधि0 / 23

दिनांक:- 15.06.2023

कार्यालय ज्ञाप

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2023-24 हेतु शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX-(2)/E-33080 दिनांक-10.05.2023 द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत निम्नलिखित अमीनों का स्थानान्तरण करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम संख्या-5 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	कार्यहित/ निजीहित	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री लालजी प्रसाद	अमीन	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	निर्माण खण्ड, नरेन्द्रनगर	कार्यहित	17(1) (ग)
2.	श्री भगवान सिंह	अमीन	रा0मा0 खण्ड, श्रीनगर	रा0मा0 खण्ड, डोईवाला	कार्यहित	17(1) (ग)
3.	श्री कैलाश चन्द्र पन्त	अमीन	प्रान्तीय खण्ड, चम्पावत	प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल	कार्यहित	17(1) (ग)
4.	श्री जयवीर सिंह	अमीन	निर्माण खण्ड, श्रीनगर	निर्माण खण्ड, चिन्थालीसौड।	निजीहित	17(1)(ख) (दो)
5.	श्री रजनीश सैनी	अमीन	निर्माण खण्ड, पोखरी।	निर्माण खण्ड, लक्सर।	निजीहित	17(1)(ख) (दो)

- सम्बन्धित अमीन को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अमीन को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अमीन द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उसका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

— 80/—

(दीपक कुमार यादव)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

कमश:-2 पर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय/रा0मा0, लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा/पौड़ी/हल्द्वानी/देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/छठा/सातवां/आठवां/बारहवां/रा0मा0/सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोडा/नैनीताल/पिथौरागढ़/उत्तरकाशी/गोपेश्वर/नई टिहरी/पौड़ी/देहरादून/हरिद्वार।
4. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय/निर्माण/रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी/चम्पावत/नैनीताल/नरेन्द्रनगर / चिन्यालीसौड/ पोखरी/लक्सर/श्रीनगर/डोईवाला।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नई टिहरी/चम्पावत/नैनीताल/नरेन्द्रनगर/चिन्यालीसौड/पोखरी/लक्सर/श्रीनगर/डोईवाला।
6. सम्बन्धित कार्मिक का नाम.....।
7. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय बैबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
8. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
10/6/23